



2026:AHC:166336

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 27664 सन् 2026

आशु

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : अतुल कुमार तिवारी

विपक्षी पक्षकार की ओर से अधिवक्ता : अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक द्वारा दाखिल अनुपूरक शपथपत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार तिवारी तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-प्रथम श्री विजय कुमार को सुना गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें थाना बहादुरगढ़, जनपद हापुड़ में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 103(1), 109, 115(2), 352, 351(2), 351(3) एवं 3(5) तथा आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के अंतर्गत पंजीकृत अपराध

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संख्या 45 सन् 2026 में विचारण लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है और आरोप के अनुसार उसने अपने दो अज्ञात सहयोगियों के साथ मिलकर अग्नेयास्त्र से चोट कारित करके सूचनादाता के पिता की हत्या की, किंतु आवेदक के विरुद्ध लगाए गए समस्त आरोप पूर्णतः असत्य हैं।
5. उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में सूचनादाता ने तथ्यों का उचित रूप से प्रकटीकरण नहीं किया तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के अंतर्गत अभिलिखित अपने कथन में भी प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथन को दोहराया है और अन्वेषण के दौरान अभिलिखित प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथनों से भी यह स्पष्ट नहीं होता कि मृतक को अग्नेयास्त्र से चोट किसने कारित की तथा ये सभी तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि आवेदक निर्दोष है और केवल पूर्व शत्रुता के कारण उसे वर्तमान वाद में फंसाया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक ने मृतक को कोई अग्नेयास्त्र की चोट कारित नहीं की।
6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अन्वेषण के दौरान विवेचक ने घटना की परिसीमा का दृश्य अभिलेख भी प्राप्त किया और उक्त दृश्य अभिलेख से भी यह परिलक्षित होता है कि आवेदक ने मृतक को कोई चोट कारित नहीं की, क्योंकि दृश्य अभिलेख से यह परिलक्षित होता है कि चोट आवेदक के एक सहयोगी द्वारा कारित की गई थी।
7. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान वाद में वह दिनांक 08.03.2026 से अर्थात् पिछले पांच माह से अधिक समय से कारागार में निरुद्ध है।
8. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया तथा प्रस्तुत किया कि आवेदक मुख्य अभियुक्त है और मामूली विवाद के कारण उसने अपने दो अज्ञात सहयोगियों के साथ मिलकर मृतक की हत्या की।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यह दोहरी हत्या का वाद है और कथित घटना में दो मृतकों के अतिरिक्त पांच व्यक्तियों को भी चोटें आईं तथा उन्होंने भी स्पष्ट रूप से आवेदक का नाम बताया है और उनके कथनों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।
10. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि शव-परीक्षण आख्या से भी यह संकेत मिलता है कि मृतक को अग्नेयास्त्र से दो चोटें आई थीं।
11. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यद्यपि दृश्य अभिलेख से यह परिलक्षित नहीं हो सका कि मृतक को अग्नेयास्त्र से चोट किसने कारित की और यह आवेदक के किसी एक सहयोगी द्वारा की गई हो सकती है, किंतु घटनास्थल पर आवेदक की उपस्थिति संदिग्ध नहीं है और दृश्य अभिलेख से भी यह स्पष्ट है कि उसने कथित अपराध के कारित किए जाने में सक्रिय रूप से भाग लिया।
12. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान वाद के अतिरिक्त आवेदक का एक अन्य वाद में आपराधिक इतिहास है और वर्तमान जमानत आवेदन में आवेदक द्वारा उस वाद का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है।
13. अतः उन्होंने प्रस्तुत किया कि वाद के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान जमानत आवेदन निरस्त किया जाए।
14. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा वाद के अभिलेख का परिशीलन किया।
15. आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है और आरोप के अनुसार उसने मामूली विवाद के कारण अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मृतक को अग्नेयास्त्र से चोट कारित करके उसकी हत्या की।
16. आगे, तथापि, दृश्य अभिलेख तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथनों से यह परिलक्षित नहीं होता कि आवेदक ही वह व्यक्ति था जिसने वास्तव में मृतक पर गोली चलाई, किंतु दृश्य अभिलेख सहित अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह स्पष्ट है कि वह अपने सहयोगियों के साथ घटनास्थल पर उपस्थित था और उसने कथित अपराध के कारित किए जाने में सक्रिय रूप से भाग लिया।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



17. इसके अतिरिक्त, वर्तमान वाद के अलावा आवेदक का एक अन्य वाद में आपराधिक इतिहास है, जिसका वर्तमान जमानत आवेदन में उसके द्वारा स्पष्टीकरण नहीं किया गया है।
18. इसके अतिरिक्त, वर्तमान वाद में भी आवेदक दिनांक 08.03.2026 से ही कारागार में निरुद्ध है।
19. अतः वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरे मत में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी नहीं है।
20. तदनुसार, वर्तमान जमानत आवेदन **निरस्त** किया जाता है।
21. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए उन तथ्यों तक सीमित हैं, जो जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान वाद के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

10 अगस्त, 2026

एस.के.एम.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।